

भा० कृ० अ० प०—उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रिय केन्द्र  
 (भा० कृ० अ० प०— केन्द्रीय भेड़ व उन अनुसंधान संस्थान)  
 गडसा, कुल्लू(हिं०प्र०)–175141

क्रमांक 5(2)बिल्ड/84/बोल-1 ४१५

दिनांक. 17.09.2016

उच्चरण (कुटेशन) आमन्ब्रण नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान के निम्नलिखित कार्य करने हेतु अध्यक्ष, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रिय केन्द्र, गडसा द्वारा अनुबन्ध के लिए सादे कागज पर स्वहस्ताक्षरित कुटेशन मोहर बन्द लिफाफे में आमन्त्रित किए जाते हैं । इच्छुक व्यक्ति / पार्टिया अपने कुटेशन दिनांक 03.10.2016 को समय 11.00 बजे पुर्वाहन तक इस कार्यालय में जमा करवा सकते हैं । जो उसी दिन दिनांक 03.10.2016 को 11.30 बजे पुर्वाहन गठित कमेटी द्वारा खोली जाएगी :

क्रम संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित वर्गफुट	कार्य को पुरा करने का समय
1	केन्द्र के कार्यालय एवं प्रयोगशाला भवन के ऊपर लगी जी आई शीटों एवं भवन की बाहरी सतह पर पेन्टिंग (दो कोट) का कार्य	13900 वर्गफुट	01 मास

नियम एवं शर्तें:

- 1 उपरोक्त कार्य हेतु सबसे कम व उचित दरै ही स्वीकार की जाएगी । दरों को प्रति वर्गफुट के हिसाब से भरनी होगी । यदि आवश्यक समझा गया तो दर के बारे में बातचीत (नेगोसिएशन) की जा सकती है । फिर भी प्राप्त किसी एक या सभी कुटेशनों को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित है ।
- 2 कुटेशन के साथ रु. 500/- ( पाँच सौ रुपये मात्र ) बतौर साई राशि जमा करवानी होगी । यह राशि सफल ठेकेदार को छोड़ कर ठेका की कार्यवाही पूर्ण होने के तुरन्त बाद लौटा दी जाएगी ।
- 3 सफल ठेकेदार को कुल ठेका राशि का 10 प्रतिशत बतौर धरोहर राशि जमा करवानी होगी जिस में साई राशि भी समाविष्ट की जा सकती है । धरोहर राशि बैंक ड्रापट, जो सी. एस. डब्ल्यू. आर.आई. यूनिट एन. टी. आर. एस. गडसा, के नाम भारतीय स्टेट बैंक भूत्तर पर देय हो अथवा एफ.डी.आर. जो अधोहस्ताक्षरी के नाम गिरवी रखा गया हो, द्वारा भी जमा करवा सकते हैं । यह राशि ठेकेदार को लिखित प्रार्थना पर ठेका सन्तोषजनक समाप्त होने पर लौटा दी जाएगी ।
- 4 पेन्ट एवं ब्रश इत्यादि केन्द्र द्वारा उपलब्ध करवाये जायेंगे । जोकि निर्धारित जगह से ठेकेदार को उठाना होगा ।
- 5 कार्य के लिए कोई औजार उपलब्ध नहीं करवाये जाएगी । औजारों की व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं करनी होगी ।
- 6 ठेकेदार या उस के प्रतिनिधि द्वारा संस्थान की सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा । यदि नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी । यदि ठेकेदार या उसके द्वारा लगाए गये मजदूर किसी असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए तो ठेका तुरस्त निरस्त किया जाएगा ।
- 7 सन्तोषजनक कार्यपूर्ति के बाद विल का भुगतान, विल प्रस्तुत करने, पैन न० के इन्द्राज करने व प्रभारी सम्पदा द्वारा सत्यापित करने के बाद, लेखाधिकारी, केन्द्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान–304 501 किया जाएगा । नियमानुसार आयकर तथा अधिभार (जो लागू होगा) काटा जाएगा ।
- 8 निदेशक / अध्यक्ष को बिना कोई कारण बताए, किसी भी या सभी कुटेशनों को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा ।

  
17.09.2016  
अध्यक्ष

1. नोटिस बोर्ड, उत्तरी शीतोष्ण क्षेत्रिय केन्द्र, गडसा ।
2. प्रधान, ग्राम पंचायत गडसा, दियार, शियाह, हुरला व थरास ।
3. प्रभारी ए.के. एम. यू. भा०कृ०अ०प०-केन्द्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, राजस्थान–304 501 को इस आशय के साथ प्रेषित है कि उक्त नोटिस को संस्थान की बेवसाईट पर अपलोड करने की अनुकम्पा करें ।
4. प्रभारी सम्पदा अनुभाग